"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 68] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 अप्रैल 2012—चैत्र 14, शक 1934

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-31/खाद्य/2011/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, नाप-तौल विभाग छत्तीसगढ़ की स्थापना में चतुर्थ श्रेणी सेवा की भर्ती के तरीके तथा क्षेत्र को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—**
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ नाप-तौल विभाग (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2012 कहलायेंगे.

   (2) ये नियम "राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना.—** ये नियम अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे.

3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.—** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, पदों पर भर्ती का तरीका, आयु सीमा और उक्त पदों से संबंधित सेवा की अन्य शर्तें अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगी.

4. **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण.—**
   (1) सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार होगा.

(2) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण:— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा.

(3) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ियों, ऐसे शासकीय सेवक जिनकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, विकलांग व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए उपबंधित किये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार होगी.

5. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

6. **निरसन.**— इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, सचिव.

अनुसूची
(नियम 3 देखिये)

स. क्र.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	भर्ती का तरीका	आयु सीमा न्यूनतम/अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हता	परीवीक्षा की कालावधि, यदि कोई हो	नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	भृत्य/श्रम सहायक	43	चतुर्थ श्रेणी	वेतन बैंड रु. 4750-7440+ग्रेड वेतन रु. 1300	100% सीधी भर्ती द्वारा	18 से 30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए आयु 18 से 35 वर्ष)	8वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	नियंत्रक, नाप-तौल छत्तीसगढ़	—
2.	हेल्पर	02	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	(1) 8वीं उत्तीर्ण (2) भारी वाहन का वैध चालक अनुज्ञप्ति.	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 1-31/खाद्य/2011/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 अप्रैल, 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, सचिव.

Raipur, the 3rd April 2012

NOTIFICATION

No. F 1-31/Food/2011/29.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules regulating the method and field of recruitment of class-IV services on the establishment of the Weight and Measure Department, Chhattisgarh, namely: —

RULES

1. **Short Title and Commencement.—**
(1) These rules may be called the Chhattisgarh Weight and Measure Department (class IV) Service Recruitment Rules, 2012.

(2) These ruels shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—** These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule.

3. **Classification and Scale of Pay etc.—** The classification of the Service, the number of posts included in the Service and the scale of pay attached thereto, the method of recruitment to the posts, age limit and other conditions of service relating to the said posts shall be as specified in the Schedule.

4. **Reservation for Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women.—**
(1) Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

(2) Reservation for Women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(3) Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for Ex-serviceman, Sports person compassionate appointment of a member of the family of a Government servant who has died in harness, handicapped and the categories of persons in accordance with the others issued by the State Government from time to time in this regard.

5. **Relaxation.—** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to it to be just and proper :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

6. **Repeal.—** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

SCHEDULE
(See rule 3)

S. No.	Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Method of recruitment	Age limit Minimum/ Maximum	Prescribed Educational Qualification	Period of probation, Trial if any	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Peon/Manual Assistant	43	Class-IV	Pay Band Rs. 4750-7440+Grade Pay Rs. 1300	100% by direct Recruitment	18 to 30 years (Age for residents of Chhattisgarh 18 to 35 years)	8th Pass	2 Years	Controller, Weights and Measures Chhattisgarh	—
2.	Helper	02	—do—	—do—	—do—	—do—	(i) 8th Pass (ii) Heavy Vehicle valid Driving Licence.	—do—	—do—	—do—

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.